यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, खटीमा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, खटीमा के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, एवं श्री रमेश कुमार केशरी, एवं श्रीमती रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.12.2018 से 15.12.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि भूषण लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.03.2018 से 12.03.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सितारगंज एवं शक्ति फार्म, निर्माता एवं ट्रेडर्स।**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**ः

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	9860.32
2016-17	9359.60
2017-18	3140.60

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-			1,89,25,000	1,52,96,142	-	32,28,858
2016-17	-	-			2,40,80,000	2,14,74,155	-	26,05,845
2017-18	-	-			2,28,96,000	2,13,18,371	-	15,77,629

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - 10/2017, 12/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो अ

प्रस्तर-1 अनियमित छूट दिये जाने से राजस्व क्षति ` 848.35 लाख

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 822 दिनॉक 03.07.2004, अधिसूचना सं0.06 दिनॉक 21. 01.2006 एवं अधिसूचना सं0.937 दिनॉक 19.12.2006 के अनुसार किसी औद्योगिक निर्माता इकाई जिसका मुख्य व्यापार स्थल उत्तराखण्ड में हो, द्वारा, ऐसे मुख्य व्यापार स्थल से अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाण्ज्यि के दौरान किसी माल, जिस पर उक्त धारा की उप धारा (1) लागू होती हो की बिक्री करने पर उक्त धारा की उप धारा (1) के अन्तर्गत शर्त 1 के अनुसार ऐसी बिक्री ऐसी निर्माता औद्यौगिक इकाई द्वारा की गयी हो जिसका कि मशीन एवं संयत्र में कुल पूॅजी निवेश रु. 25 करोड या उससे कम हो प्रपत्र सी में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 1 प्रतिशत की दर से कर देय होगा। अन्यथा की स्थिति में केन्द्रीय विक्री पर प्रपत्र सी प्रस्तुत करने पर 2 प्रतिशत की दर से कर देयता का प्रावधान किया गया है।

पुनः उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 335/XXVII(5)/Trade Tax/2004 दिनांक 16/03/2005 की शर्त 03 के अनुसार यदि कोई निर्माता फ़र्म द्वारा अपना व्यवसायिक उत्पादन दिनांक 07 जनवरी 2003 के बाद एवं 31 मार्च 2007 तक एवं संशोधित अधिसूचना 211/XXVII (8)/Vanijay Kar(VAT)2007 दिनांक 09.04.2007 के द्वारा 07 जनवरी 2003 से 31 मार्च 2010 तक करके बिक्री किया गया है तो व्यावसायिक उत्पादन के पाँच वर्ष तक केंद्रीय बिक्री मे 1 प्रतिशत की दर से कर जमा करने का लाभ दिया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि)-द्वितीय, राज्य कर खटीमा के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री बालाजी एक्शन बिल्डबेल, सिडकुल, सितारगंज कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे निर्मित पार्टिकल बोर्ड/फ्लोरिंग की प्रपत्र सी से केंद्रीय बिक्री ` 4,00,36,81,556 पर 1 प्रतिशत की दर से कर दायित्व स्वीकार किया गया था जिसमें से 3975186159 की बिक्री फार्म सी से आच्छादित पायी गयी थी। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था ।

व्यापारी के कर निर्धारण आदेश मे व्यापारी को 1 प्रतिशत कर हेतु उत्तराखंड शासन की अधिसूचना 822 अथवा 335/XXVII(5)/Trade Tax/2004 दिनांक 16/03/2005 संसोधित अधिसूचना 211/XXVII (8)/Vanijay Kar(VAT)2007 दिनांक 09.04.2007 का लाभ दिया गया था, के संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी। वर्ष 2013-14 में प्लांट एंड मशीनरी में कुल निवेश 93.49 करोड का है जो कि 25 करोड़ से अधिक है। अतः उक्त बिक्री पर 1(2-1) प्रतिशत की अन्तरीय दर से कर `39751862 (` 3,97,51,86,159 x 1%) व्यापारी पर और आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी द्वारा दाखिल Fixed Assets, जो पत्रवाली पर उपलब्ध है, मे व्यापारी का Total Fixed Assets including land, office-equipment इत्यादि है, कुल `20,57,78,908 है, जो मानक शासनादेश से कम होने के कारण Central Sale 1% की दर से होना उचित है। वर्ष 2014-15 की प्रति संलग्न है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि गोपनीय पत्रावली मे उपलब्ध वर्ष 2014-15 के कर निर्धारण आदेश मे केंद्रीय बिक्री प्रपत्र सी से आच्छादित पर धनराशि ` 4,50,82,82,341 पर 1 प्रतिशत की दर से कर ₹4,50,82,823 का कर आरोपित किया गया है। जबकि उक्त पर भी 2 प्रतिशत की दर से कर ` 9,01,65,646 (4,50,82,82,341 x 2 प्रतिशत) आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था। इस प्रकार वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 मे कुल कर ₹8,48,34,685 (3,97,51,862 + 4,50,82,823) कर के न्यूनरोपण का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर...;–छिपी बिक्री (अन्तर) पर अनारोपित कर रु.48.18 लाख।

उपायुक्त(क0नि0)–2राज्यकर खटीमा खण्ड के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान सर्वश्री अरावली इन्फ्रा पावर लि0 सिडकुल सितारगंज कर निर्धारण वर्ष 2014–15 के कर निर्धारण वाद में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25 (7) में रु3,82,890.00 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 9(2) के अन्तर्गत रु.1,13,28,014.00 कुल बिक्री रु.1,17,10,904.00 पर रु.1,61,340.00 कर निर्धारण किया गया।

आगे पत्रावली की जॉच में पाया गया कि आरम्भिक स्टाक,क्रय, अन्तिम स्टाक, बिक्री में निम्नवत अन्तर

आरम्भिक स्टाक	रु.2,62,14,376.00
वर्ष में खरीद	रु.2,77,51,958.00
योग	रु.5,39,66,334.00
(–) अन्तिम रहतिया	रु.1,02,65,844.00
कम से कम वास्तविक बिक्री**(बिनालाभान्तर)**	
जो होनी चाहिए थी।	रु4,37,00,490.00
कर निर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री	रु.1,17,10,904.00
छुपी बिक्री (अन्तर)	रु.3,19,89,586.00

इस छुपी बिक्री (अन्तर) पर स्टील स्ट्रक्चर पर 13.5 प्रतिशत की दर से रु.43,18,594.00(3,19,89,586X13.5) कर अनारोपित रह गया।

पत्रावली पर आधी अधूरी बैलेन्स सीट की छाया प्रति संलग्न पायी गयी। आडिट रिर्पोट संलग्न नही पायी गयी।

इसके संबन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर विभागा द्वारा जॉचों परान्त कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी। अत; अनारोपित कर रु48.18 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग दो ब

प्रस्तर-2 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 35.66 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार किसी ब्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि)-द्वितीय, राज्य कर खटीमा के अभिलेखो की जांच मे पाया गया की व्यापारी सर्वश्री सैटको आटोमोटिव लि0, सिडकुल सितारगंज कर निर्धारण वर्ष 2014-15 मे केन्द्रीय बिक्री स्व निर्मित मोटर्स पार्ट्स `1,10,06,40,501 की प्रपत्र सी से 1 प्रतिशत कर की दर से कर दायित्व स्वीकार किया गया था। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष मे ` 7,45,86,504 से कैपिटल गुड्स की खरीद स्वीकार की गयी है। कर निर्धारण पत्रावली पर वर्ष 2014-15 की बैलेन्स शीट संलग्न नहीं है न ही कर निर्धारण आदेश मे व्यापारी द्वारा स्वीकृत 1 प्रतिशत की दर से कर के संबंध मे कोई टिप्पणी की गयी है। व्यापारी को 1 प्रतिशत कर हेतु उत्तराखंड शासन की अधिसूचना 822 अथवा 335/XXVII(5)/Trade Tax/2004 दिनांक 16/03/2005 संसोधित अधिसूचना 211/XXVII (8)/Vanijay Kar(VAT)2007 दिनांक 09.04.2007 का लाभ दिया गया है।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा व्यापारी की वर्ष 2014-15 की Fixed Assets Balance Sheet उपलब्ध करायी गयी। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण के समय अपनी fixed Assets सात करोड़ के आस-पास/लगभग बताया है।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैलेन्स शीट के अनुसार वर्ष 2014-15 मे ` 5,09,80,033 का फ़िक्स्ड असेट्स का एडिशन किया गया था एवं ` 28,14,860 का Adjustment किया गया था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार वर्ष 2014-15 मे `7,45,86,504 का कैपिटल गुड्स (मशीन एवं फिक्चर्स) का क्रय किया गया था। जबकि बैलेन्स शीट मे `5,09,80,033 का ही एडिसन किया गया था इस प्रकार `2,36,06,417 (`7,45,86,504 -` 5,09,80,033) का फ़िक्स्ड असेट्स का एडिशन नहीं किया गया था। अतः कुल फ़िक्स्ड असेट्स `2,64,21,277 (`2,36,06,417 +` 28,14,860) को बिक्री मानते हुए 13.5 प्रतिशत की दर से कर `35,66,872 (2,64,21,277 x 13.5 %) अनारोपित रह गया। ` 35.67 लाख कर अनारोपित रह जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग दो ब

प्रस्तर- कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 1.04 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार किसी ब्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-द्वितीय राज्य कर खटीमा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया की व्यापारी सर्वश्री अंश टूटर मिडिएट सर्विसेस प्रा0लि0 सितारगंज द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे ` 31,61,07,203 का एवं वर्ष 2016-17 मे `24,95,47,110 का एल्यूमिनियम वायर एवं कोर की खरीद घोषित की गयी है। उक्त व्यापारी द्वारा संगत वर्षो मे कुल बिक्री 2015-16 मे `31,61,07,203 एवं वर्ष 2016-17 मे `24,95,47,110 की घोषित की गयी है एवं अंतिम रहतिया 00 घोषित किया है। व्यापारी द्वारा खरीद मे लाभ को शामिल किए बिना ही जितनी खरीद है उतनी ही बिक्री घोषित किया है। जबकि उक्त पर न्यूनतम 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर बिक्री होगी। जो की ` 5,65,65,431(`31,61,07,203 + `24,95,47,110 = `56,56,54,313 x 10%) होगा। उक्त पर 5 प्रतिशत की दर से कर `28,28,272 (`5,65,65,431 x 5%) कर व्यापारी पर आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म एक प्राईवेट कंपनी है। वर्ष 2016-17 की balance sheet मे Earning per equity shares Rs. 3 दर्शाया गया है। व्यापारी द्वारा वर्ष 2016-17 मे ` 10,14,885 का लाभ दर्शाया गया है। बैलेन्स शीट के अनुसार वर्ष 2015-16 मे यह लाभ ` 10,65,263 का है। लाभ के % के संबंध मे Income Tax Department द्वारा टिप्पणी उचित होगी।

विभाग के उत्तर के अनुसार वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 मे कुल लाभ `20,80,140 (`10,65,263 +`10,14,885) पर 5 प्रतिशत की दर से (ट्रांसफार्मर की बिक्री पर) ` 1,04,007 (`20,80,140 x 5%) की दर से कर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। अतः `1.04 लाख के कर के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाये हेतु प्रस्तुत है।

<u>भाग- 2 (ख)</u>

प्रस्तर- देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.64 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में ` 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह **कर**, समाधान धनराशि विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक जमा करेगा ।

अधिसूचना संख्या 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 26.03.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 से **कर**, समाधान धनराशि विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करेगा ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो, उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-द्वितीय, वाणिज्य कर/राज्य कर विभाग, खटीमा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **<u>संलग्नक-'क'</u>** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 2,64,180 (अर्थात् ` 2.64 लाख) अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा सभी प्रकरणों में बताया गया कि जांचोपरान्त आख्या प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.64 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक – "क"

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं0	ब्यौहारी का नाम, पता एवं टिन नं0	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (`)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (`)
1.	सर्वश्री आनन्द ट्रेडिंग कम्पनी, आदर्श गल्ला मण्डी, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) । (टिन नं0 05010433248)	2014-15	11/2014	2,89,580	20.12.2014	30.12.2014	10 दिन	28,958
2.	सर्वश्री क्लियर माईपैक पैकेजिंग सोल्युशन लि0, सिडकुल, सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) । (टिन नं0 05006979854)	2014-15	8/2014	20,00,000 3,52,223	20.09.2014	26.09.2014	6 दिन	2,00,000 35,222
							योग	**2,64,180**

भाग- 2 (ख)

प्रस्तर-5 अनियमित आई0टी0सी0 का लाभ ` 0.15 लाख एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.46 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(4)(क) के अनुसार, यदि किसी कर अवधि में कोई पंजीकृत व्यक्ति माल (पूँजीगत माल को छोड़ कर) जिस पर इस धारा के उपबन्धों के अधीन इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य है का क्रय करता है और ऐसे क्रय को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये आंशिक रूप से उपयोग करता है तो इनपुट टैक्स का लाभ उसी अनुपात में अनुमन्य होगा जिस सीमा तक विभिन्न प्रयोजनों हेतु उनका उपयोग किया गया है और ऐसे विभिन्न प्रयोजनों में सम्मिलित हैः-

(ii) राज्य के बाहर विक्रय जिसमें माल का विक्रय और अन्य राज्यों को प्रेषण या माल के अन्तरण के रूप में माल भेजना शामिल है ।

पुनः धारा 58(1)(xi) के अनुसार, यदि कोई ब्यौहारी मिथ्या या गलत आई0 टी0 सी0 का दावा करता है, तो ` 5,000 अथवा मिथ्या या गलत आई0 टी0 सी0 का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-द्वितीय, वाणिज्य कर/राज्य कर विभाग, खटीमा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री क्लियर माईपैक पैकेजिंग सोल्युशन लि0, सिडकुल, सितारगंज के वर्ष 2014-15 के कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा कच्चे माल व पैकिंग मैटीरियल एवं कन्जूमेबिल गुड्स की खरीदों पर ` 79,36,237 का आई0टी0सी0 का दावा किया गया है । परन्तु संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर के विरूद्ध ` 38,502 की आई0टी0सी0 रिवर्स करते हुए शुद्ध रूप से कुल ` 78,97,735 का क्लेम किया गया है जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विधिक रूप से अनुमन्यता प्रदान किया गया है ।

परन्तु लेखापरीक्षा द्वारा गणना करने पर पाया गया कि स्टॉक ट्रांसफर ` 43,38,823 कुल बिक्री ` 64,12,33,687 का 0.68% है । अतः व्यापारी द्वारा दावा की गयी आई0टी0सी0 ` 79,36,237 का 0.68% अर्थात् ` 53,966 की आई0टी0सी रिवर्स रिवर्स किया जाना था । परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ` 38,502 की आई0टी0सी रिवर्स किया गया है । अतः अन्तरीय धनराशि ` 15,464 (` 53,966 - 38,502) आई0टी0सी0 रिवर्स किया जाना अपेक्षित है जिसे रिवर्स नहीं किया गया है । साथ ही, उपरोक्त अधिनियम की धारा 58(1)(xi) के अनुसार, अर्थदण्ड ` 46,392 (` 15,464 x 3) भी आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः अनियमित आई0टी0सी लाभ ` 0.15 लाख एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.46 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो ब

प्रस्तर- अधिक वापसी के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 0.30 लाख

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–330/2012/14/ XXVII (8)06दिनॉक 17 अप्रैल 2012 के पैरा (4) (क)के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के पॉच प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया गया हो, उसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि के चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–627/2012/14/ XXVII (8) 06दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगें उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अत; आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-द्वितीय राज्य कर खटीमा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि संविदाकार सर्वश्री सुरेश कुमार जैन द्वारा वर्ष 2014-15 मे समाधान योजना का लाभ लिया गया था। उक्त वर्ष मे वर्ष 2012-13 के अनुबंध मे प्राप्त धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से समाधान कर का निर्धारण किया गया था। जबकि उक्त वर्ष हेतु 4 प्रतिशत की दर से कर का निर्धारण होगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	अनुवंध वर्ष	फार्म सं0	सकल धनराशि	समाधान कर	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कर निर्धारण दर	अंतर की धनराशि जो वसूली योग्य है।
01	2012-13	003971	392140	4%	2%	7843
02	2012-13	035442	1023587	4%	2%	20447
03	2013-14	003839	196620	2%	1%	1966
योग						30256

चूकी संविदाकार को `64,428 की वापसी की जा चूकी थी । अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार संविदाकार से धनराशि ` 30,256 की वसूली योग्य है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-157/2017-18	01	01,02,03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, खटीमा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1	श्री तारकेश्वर मिश्रा,	उपायुक्त(क.नि.)-II	खटीमा 04/2017 से 03/2018 तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) द्वीतीय, राज्य कर, खटीमा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र